HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1134/2024

Himmat Singh S/o Durga Shankar

----Petitioner

Versus

Durga Shankar Khatawa S/o Balchand

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Dadhich, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devanshu Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

20/05/2026

विद्वान अधिवक्ता याची ने निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है, उसकी विपरीत आर्थिक परिस्थिति रही है, अतः राजीनामा के आधार पर निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया, प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।

अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषसिद्ध कर कारावास के दण्ड से दंडित करते हुए प्रतिकर/अर्थदण्ड अदायगी का भी आदेश दिया है, जिसके विरूद्ध विद्वान अपीलीय न्यायालय से अभियुक्त की अपील खारिज हो चुकी है, अपीलीय न्यायालय के निर्णय के समय अभियुक्त फरार रहा है तथा निगरानी याचिका प्रस्तुत करते आज तक अभियुक्त द्वारा समर्पण नहीं किया गया है। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 311(3) की पालना नहीं की गयी है और अभियुक्त फरार चल रहा है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों, उसकी फरारी के आचरण व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Sanjabij Tari Vs. Kishore S. Borcar and anr. 2025 SCC Online SC 2069 में प्रतिपादित व्यवस्था को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि

याची–अभियुक्त **15,000**/– रूपये की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष जमा कराकर उसकी रसीद रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर देता है तो पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को तस्दीक किये जाने की कार्यवाही की जावे।

पक्षकारान् को निर्देशित किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष राजीनामा सत्यापन कार्यवाही हेतु आज दिनांक **20.05.2026 को** मध्याह्न पश्चात उपस्थित रहें।

राजीनामा सत्यापन कार्यवाही के पश्चात प्रकरण दिनांक **22.05.2026** को पुनः सूचीबद्ध हो।

(UMA SHANKER VYAS),J

97//Murari Lal Sharma/418